

(50)

कार्यालय कलेक्टर कोण्डागांव जिला कोण्डागांव (छोटगांव)

// इष्टपने // कोण्डागांव, दि. ॥ क्रमांक 23.10.2014

क्रमांक / १-२ / अ-३ / 2014-15
पति.

सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर.

विषय:— ग्राम मुलमुला तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के पारा/टोलों को
राजस्व ग्राम घोषित करने वाबत्।

—०—

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम पचायत मुलमुला जनपद पंचायत कोण्डागांव
तहसील कोण्डागांव जिला कोण्डागांव द्वारा दिनांक 27.01.2009 एवं 04.10.2011 को ग्राम
सभा आयोजित कर ग्राम मुलमुला के पारा/टोला को ग्रामों में विभाजन हेतु सर्व सम्मति
से प्रस्ताव पारित किया गया था। तत्संबंध में तहसीलदार कोण्डागांव एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा) कोण्डागांव के जांच प्रतिवेदन व अनुशारा अनुसार छत्तीरागढ भू-राजस्व
संहिता, 1959 (क्रमांक 20 रान् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
लाते हुए जिला कोण्डागांव तहसील कोण्डागांव के प०४०८० १६ मुलमुला के ग्राम
मुलमुला को विभाजित कर धनपुर एवं लेमड़ी को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने वाबत्
अधिसूचना जारी किया गया है। जिसकी प्रति सलग्न कर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

K.
कलेक्टर 29/10/14
जिला कोण्डागांव

51

of the Collector & Settlement Officer, District Kondagaon (C.G.)

NOTIFICATION

Kondagaon dated 28/10/2014

No. Q.I-A-3/14-15/2014 Whereas the proposal of Division of village Mulmula, Tehsil-Kondagaon, Sub-Division Kondagaon, District Kondagaon into Dhanpur village has been received with the recommendation of Tehsildar Kondagaon and Sub Divisional Officer (Revenue) Kondagaon in respect of the resolution passed in Gram Shabha held on 27-01-2006 at Mulmula.

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F 4-137/Seven dated 01/01/2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare that Para/Tola's shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village , from the date of this notification namely :-

S. No.	Name of village	"Para" / "Tolas" included in village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of village	Patiwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	Distr.
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Dhanpur	1- Netampara 2- Khaspara Dhanpur 3- Padarpura 4- Maripara 5- Jampara	546.391	North - Fukagirola South - Mulmula East - Forest Area & Silati West - Forest Area & Marvabeda	16 Mulmula	Mulmula	Kondagaon	Kondag



28/10/14
Collector & Settlement Officer,
District Kondagaon (C.G.)

पृष्ठमांक / १-२ (A)
तिथि / ३०-३ / २०१४-१५
प्रतिलिपि -

कोणडागांव, दिनांक २९.१०.२०१४

१. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशारान् विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग/ वन विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
२. आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग/भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
३. सचालक, भू-अभिलेख, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
४. आयुक्त, वस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
५. वन संरक्षक, वृत्त काकेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
६. परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए०/वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल /सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
७. प्रभारी अधिकारी, भू-अग्निलेख शाखा, जिला कार्यालय कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
८. अनुविभागीय अधिकारी (रा) कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
९. तहसीलदार, कोणडागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

k.
कलेक्टर, २९.१०.
जिला कोणडागांव

कलेक्टर एवं विदेशी अधिकारी, जिला कोणडागांव (छत्तीसगढ़)

अधिकारीसंघना / २८/१०/२०१३

०२/अ-३/१४-१५/२०१३, या जिला कोणडागांव प्रशासन अधिकारी संघना में ०१.१०.२०११ तो याम इच्छा द्वारा दिया गया था। यह याम युलमुला रोपांठा टोला हेमडी का विभाजन होने की दिनांक ०१.१०.२०११ पर याम द्वारा दिया गया था। यह प्रस्ताव पारित किया जाने पर यामपारियों द्वारा याम का विभाजन होने वाले इस्तेवदार कर्त्ता पर ताहरीसदावर कोणडागांव एवं अनुसूचीय अधिकारी(या) कोणडागांव रोपांठा सहित प्राप्त जा है।

और यह, छत्तीसगढ़ शारान राजस्व विभाग की अधिकारी संघना क्रमांक एफ ४-१३७/सात-१/२०१३ दिनांक ०१/०१/२०१३ के याम में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व याम का गठन करने रायधी द्वारा दिया गया था। यह धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व याम का गठन करने रायधी द्वारा दिया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त वित्तीयों का प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के लॉलम (२) में दर्शित राय/टोला इस अधिकारी संघना दिनांक से एक राजस्व याम होगा। अधीकारी

संक्र.	याम का नाम	याम में निर्दिष्ट पारा टोला का नाम	याम का कुल रकम (हजारों रुपयों में)	याम संख्या	पटपारी हस्ताक्षर नंबर	प्राप्त प्रदत्त वित्त का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
१	लेमडी	१. भानपारा २. लेमडी ३. नयापारा ४. जामबेड़ा ५. कलडीबेड़ा ६. ताशबेड़ा ७. ढोडीपारा ८. रकूलपारा ९. गामान्दार	१०३०.३४९	उत्तर- इंदागांव, भोगाडी दक्षिण नेवता पूर्व - मुलमुला पश्चिम- सितली, चिलपुटी	१६ गुलमुला	मुलमुला	कोणडागांव	कोणडागांव



k.
कलेक्टर एवं बंदोबस्तु अधिकारी
जिला कोणडागांव (छ.ग.)

28 XI 14

The Collector & Settlement Officer, District Kondagaon (C.G.)

NOTIFICATION

Kondagaon dt. 28/10/2014

No. Q/7/A-3/14-15/2014 Whereas, the Proposal of Division of village Mulmula, Tehsil-Kondagaon, Sub-Division-Kondagaon District-Kondagaon into Lemdi village has been received with the recommendation of Tehsildar Kondagaon and Sub-Divisional Officer (Revenue) Kondagaon in respect of the resolution passed in Gram Shabha held on 04-10-2014 at Mulmula.

And whereas as per the Revenue Department's Notification No. F-4-137/Seven dated 2013 dated 01/01/2014 under Section 90 read with Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement Officers relating to constitution of revenue village have been vested in the undersigned :

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), it is hereby declare that Para/Tola's shown in column (2) of Schedule below shall be revenue village, from the date of this notification amely :-

S. No.	Name of village	"Para"/"Tolas" included in village	Total Area of village (in hectare)	Boundaries of village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	Di rector
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Lemdi	1. Khalepara 2. Lemdi 3. Nayapara 4. Jambeda 5. Kakdibeda 6. Tarabeda 7. Dhodipara 8. Schoolpara 9. Bangaplat	1030.349	North - Eandagaon, Bhogadi South - Nevta East - Mulmula West - Sitali, Chilputi	16 Mulmula	Mulmula	Kondagaon	Konc

k.
✓ X*14
Collector & Settlement Officer,
District Kondagaon (C.G.)



कलेक्टर के लिए एवं ज़िला कोणडागांव (छत्तीसगढ़)

// अधिरूचना //

कोणडागांव दिनांक 28/10/201

क्रमांक ०१

/ ३१-३ / १४-१५ / २०१४ - पहले ज़िला कोणडागांव अनुभग कोणडागांव मुख्यमंत्री

शासन के भाग मुलमुला से पोरा/टोला धनपुर को विभाजित कर दिनांक 27/01/2009 को ग्राम पंचायत समृद्धि भूमि से ग्राम आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जाने एवं यामवारों द्वारा ग्राम का विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार कोणडागांव एवं अनुविधानीय अधिकारी(र) कोणडागांव से अनुशंसा सहित प्राप्त आ है।

और यह, छत्तीसगढ़ शासन, राजरव विभाग की अधिरूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / २०१४ नं. ०१ / ०१ / २०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजरव सहिता, १९५९ (क्रमांक २० रान् १९५९) की धारा ९ हिपटित धारा ७३ के अतीत राजरव ग्राम का गठन करने सबूती वर्तोवरत अधिकारियों की शक्ति औहस्ताक्षरकता में निहित किया गया है।

अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजरव सहिता, १९५९ (क्रमांक २० रान् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त विकायों को प्रयोग में लाते हुए एवं दूसरे घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (२) में दर्शिता/टोला इस अधिरूचना दिनांक से एक राजरव ग्राम होगा अर्थात् :-

संक्र.	ग्राम का नाम	ग्राम में सम्मिलित धारा टोला का नाम	ग्राम का कुल जनकी (हेक्टेयर में)	ग्राम सीमाएँ	पटवारी हल्का नवर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	ज़िला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
धनपुर	१. नतामपारा २. खासपारा धनपुर ३. पदरपारा ४. मारीपारा ५. जामपारा	546.391	उत्तर- फुकागिरोला दक्षिण- मुलमुला पूर्व- वनक्षेत्र, रिलाटी पश्चिम- वनक्षेत्र, गरवालेडा	१६	मुलमुला	-	कोणडागांव	कोणडागांव



कलेक्टर एवं वर्दोवरस्त अधिकारी
ज़िला कोणडागांव (छग.)